न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–30/2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम राम विलास सहनी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
04/3/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–67/म0नि0को0 दिनांक–12.01.2020 से प्राप्त अशोक पेपर मिल थाना कांड सं0–93/19 दिनांक 27.06.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन होण्डा शाइन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07W-3381 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक लाल रंग के मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति को गिरधरपुर की ओर से आता देखा तो वाहन चेकिंग हेतु इशारा किया तो मोटरसाईकिल पर सवार व्यक्ति मोटरसाईकिल मोड़कर भगाने की कोशिश करने लगा, जिसे सहयोगी बल की सहायता से खदेड़ कर पकड़ा गया। दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष पकड़ाये व्यक्ति वो मोटरसाईकिल की विधिवत् तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में मोटरसाईकिल में बायें तरफ रस्सी से बंधा हुआ हरे रंग का पन्द्रह लीटर वाला गैलन बरामद किया, जिसमें करीब 14 लीटर देशी निर्मित शराब बरामद हुआ जिसे, विधिवत् उक्त मोटरसाईकिल के साथ जब्त किया गया। पूछताछ में पकड़ाये व्यक्ति राम विलास सहनी द्वारा बताया गया कि शराब खुद बनवाने और बेचने का काम करते हैं। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी उक्त जब्त वाहन के मालिक हैं। विपक्षी दिनांक 27.06.2019 को माखनपुर में अपने संबंधी से मिलकर अपने घर गिरधरपुर आ रहा था तो रास्ते में पुलिस पदाधिकारी द्वारा गाड़ी को रोका गया। कागजात मांगने पर कागजात का फोटो कॉपी दिखाया गया, लेकिन वे नहीं माने। विपक्षी के गाड़ी से कभी कोई शराब बरामद नहीं हुआ है और विपक्षी का हस्ताक्षर भी दरोगा सादे कागज पर ले लिए। विपक्षी पर उक्त थाना कांड झूठा किया गया है। विपक्षी निर्दोष है। अतः उक्त जब्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त मोटरसाईकिल रजि0नं0–BR07W-3381 से परिवहन कर ले जाते हुए 15 लीटर के गैलन में लगभग 14 लीटर देशी	

निर्मित अवैध शराब बरामद हुआ जिसे विधिवत् उक्त मोटरसाईकिल के साथ जब्त करते हुए अभियुक्त सह वाहन स्वामी को गिरफ्तार भी किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के एवं कारण पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। जबकि स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त मोटरसाईकिल से शराब बरामद हुआ है, जिसे विधिवत् जब्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में अशोक पेपर मिल थाना कांड सं0–93/19 दिनांक 27.06.2019 में जब्त वाहन होण्डा शाइन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07W-3381 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा